

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद कायक RAS

प्रकरण संख्या 44/2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

इंगलसिडे 510 कं प्राजसिडे चारु (चारु राजपूत)
वजारा निजसिडे

- प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

महासिडे 510 गजराडासिडे चारु कौर निजसिडे

- विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री गो० शरीम
अभिभाषक प्राजसिडे

दिनांक 17-6-19

निर्णय

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम निजसिडे तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 338 रकबा 0.11 ई.

339 रकबा 0.30, 340 रकबा 0.45, 342 रकबा 0.50
343 रकबा 0.91, 347 रकबा 0.22, 348 रकबा 0.25-348
रकबा 3.35 824/1521.08, 829/1524. रकबा 0.80 कित्ता 10 रकबा 7.89 हेक्टर का 0.44, 61
कुल कित्ता 10.01 रकबा 10.01 हेक्टर का 0.46

प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के 64 रकबा 0.7 विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के 65 रकबा 0.5 सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कित्ता 4 रकबा 2.19 कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम निजसिडे संवत् 2071 से 2074 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आरजे 34 स्वीकार किया जाकर मौजा निजसिडे में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त रकबा 0.2 खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात कित्ता 13 रकबा 0.76 हेक्टर की रू 30-पाठ पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई को 45क प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को 45क को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस रू 20000 रूपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ को 45क मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17-6-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ को 45क पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)